[illegible] पत्रावली प्रकरण उक्त / [illegible] की नकल प्राप्त
वादि जवाब हेतु दिनांक 21-2-18 को पेश
है।

21/2/18 पत्रावली पेश उक्त / जवाब हेतु दिनांक
21-3-18 को पेश है।

21/3/18 पी. ओ. साहब [illegible] / स्थानान्तरण / अवकाश
पर होने से दिनांक 15-4-18 को पेश हो।

[illegible]/18 पी. ओ. साहब [illegible] / स्थानान्तरण / अवकाश
पर होने से दिनांक 25/4/18 को पेश हो।

[illegible]6.18 पत्रावली लोक अदालत कैम्प - पीपलू में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार - पीपलू से जवाब लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वाद में वर्णित भूमि आ. ख. न. 432 रकबा 17-05 बीघा भूमि कमाण्ड क्षेत्र में दर्ज रिकॉर्ड सिवायचक है।

वादी को पूर्व में बिना सरकार - पैरोकार सरकार का पक्ष सुने बिना ही 23-12-2011 को सिवायचक जमीन पर खातेदारी दे दी गई, जिस पर पैरोकार सरकार ने राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के समक्ष अपील की, जिसमें 08.06.2017 को दिए गए निर्णय में उपखण्ड अधिकारी - पीपलू का निर्णय दिनांक 23-12-2011 अपास्त किया गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
6	आज पत्रावली में तहसीलदार - पोषलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों / आदेशों के अनुसार सिवायचक जमीन पर आवन्टन या नियमन हेतु समिति होती है, जो प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करके निर्णय लेती है। किसी को भी सिवायचक जमीन पर सीधे ही (बिना नियमन / आवंटन) खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते। इस प्रकार का कोई भी वाद यह न्यायालय विचारण योग्य नहीं समझता। प्रार्थी भूमिहीन भी नहीं है, जैसा कि तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे आधारहीन वादों को पेश करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने हेतु न्यायालय यह वाद विचारण योग्य नहीं मानते हुए तथा विधि द्वारा वर्जित मानते हुए sec. 151 (सी.पी.सी.) व 0.7 R.11 (सी.पी.सी.) का प्रयोग करते हुए खारिज करता है। यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखा जाकर लोक अदालत में सुनाया गया। आदेश 26.06.18 अतिरिक्त तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी 6/9/17